(बी) संसाधन केन्द्र

एक विशेष संसाधन केन्द्र संसाधन केन्द्र सह विभागीय पुस्तकालय के रूप में कार्य करेगा। यह केन्द्र विभिन्न प्रकार के संसाधन तथा सामग्री उपलब्ध कराएगा जिससे शिक्षण–अधिगम की गतिविधियों का रूपांकन एवं चयन किया जा सकेगा। साथ ही प्रासंगिक पाठ, नीति दस्तावेजों की प्रतियां और आयोगों के प्रतिवेदन; प्रासंगिक पाठ्यचर्या दस्तावेज जैसे एनसीएफ, एनसीएफटीई, शोध प्रतिवेदन, सर्वेक्षणों (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय) के प्रतिवेदन, जिला एवं राज्य स्तरीय आँकड़े; अध्यापकों की पुस्तके; पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक पुस्तकें एवं पत्रिकाएं; क्षेत्रीय प्रतिवेदन तथा शोध–संगोष्ठियों के प्रतिवेदन, श्रव्य–दृश्य उपकरण – टी.वी., डीवीडी प्लेयर, एलसीडी प्रोजेक्टर, फिल्में (वृत्तचित्र, बाल फिल्में, सामाजिक सरोकारों/मुद्दों से जुड़ी रिकार्डिंग यंत्र; तथा ऐच्छिक रूप से आरओटी (आरओटी) (सैटेलाइट रिसीव ओनली टर्मिनल) एवं (एसआईटी) (सैटेलाइट इंटरैक्टिव टर्मिनल) भी उपलब्ध कराएगा।

टिप्पणी: 7.1 एवं 7.2 में वर्णित उपर्युक्त सुविधाएं संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अन्य शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को पहले से दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त होगी।

7.3 अन्य सुविधाएं

(ए) निर्देशन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए आवश्यक संख्या में सुचारू एवं समुचित प्रयोगशालाएं एवं फर्नीचर।

(बी) वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था।

(सी) संस्थान में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था।

(डी) परिसर, जल संसाधनों, शौचालयों (पुरूष, महिला एवं अध्यापक के लिए पृथक) की प्रतिदिन साफ–सफाई की प्रभावी व्यवस्था, फर्नीचर के रख–रखाव और अन्य उपकरणों की मरम्मत आदि की व्यवस्था।

(टिप्पणी: यदि शिक्षक शिक्षा के एक से अधिक कार्यक्रम एक ही संस्थान द्वारा एक ही परिसर में चलाए जा रहे हों तो खेल परिसर, बहुउद्देशीय हॉल, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला (पुस्तकों और उपकरणों की आनुपातिक वृद्धि के साथ) आदि में हिस्सेदारी की जा सकती है। संस्थान में एक प्राचार्य होगा तथा विभिन्न शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के अध्यक्ष होंगे।)

8. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंधन समिति होगी, जिसमें बारी बारी से प्रायोजक सभा/प्रबंधक सभा/न्यास के सदस्य, दो शिक्षाविद्, प्राथमिक/प्रारंभिक शिक्षा विशेषज्ञ, एक संकाय सदस्य क्षेत्रीय कार्य के लिए चयनित दो संस्थानों के प्रमुख होंगे।

परिशिष्ट–6

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.)कार्यक्रम स्कूल शिक्षा के प्रारम्भिक चरण के लिए कक्षा **(कक्षा** I-VIII) शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार करने के लिए एक व्यावसायिक कार्यक्रम है ।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में डिप्लोमा की अवधि दो शैक्षणिक वर्ष होगी तथापि छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अन्दर कार्यक्रम आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति होगी ।

2.2 कार्य दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर परंतु परीक्षा अवधि समेत कम से कम 200 कार्य दिवस होंगे तथापि, प्रत्येक सप्ताह कम से कम छत्तीस घंटे कार्य किया जाएगा।

3. दाखिला, पात्रता और प्रवेश प्रकिया

3.1 दाखिला

प्रत्येक वर्ष के लिए 50 छात्रों की एक बुनियादी इकाई होगी।

3.2 पात्रता

उच्च माध्यमिक स्कूल (+2) अथवा समकक्ष परीक्षा, कम से कम 50: अंकों के साथ पास। तथापि, 5 प्रतिशत अंकों की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/एसजीएफआई खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अर्हक परीक्षा में अंकों की प्रतिशतता और अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों व अन्य श्रेणियों के लिए सीटों के आरक्षण में और अंकों में छूट केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार, जो भी लागू हो, प्रदान की जाएगी ।

3.3 प्रवेश प्रकिया

प्रवेश परीक्षा में (खेल दक्षता परीक्षण, शारीरिक, स्वस्थता परीक्षण और अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक) अथवा किसी अन्य चयन प्रकिया में, राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर किया जाएगा ।

3.4 फीस

संस्थान ऐसी फीस प्रभारित करेगा, जैसी कि एन.सी.टी.ई. विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर यथासंशोधित संबंधित निकाय/संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए; ट्यूशन फीस व अन्य फीस के विनियमन के संबंध में गैर–सहायता प्राप्त शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभारित योग्य अन्य फीस के विनियमन संबंधी मार्गनिदेश ।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

डी.पी.एड. कार्यक्रम, बाल्यावस्था, शिक्षा के सामाजिक संदर्भ, विषय जानकारी, शिक्षा राष्ट्रीय ज्ञान, शिक्षा के उद्देश्य और संचार दक्षताओं के अध्ययन को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत अनिवार्य और वैकल्पिक सिद्धान्त पाठ्यक्रम और अनिवार्य स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सम्मिलित है। सिद्धान्त और अभ्यास पाठ्यक्रमों को अनुपात के अनुसार भारित प्रदान किया जाएगी जैसा कि संबंधित निकाय द्वारा तय किया जाए। यह, स्थूल रूप में एन.सी.टी.ई. द्वारा सुझाए गए; समय–समय पर संशोधित पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के अनुरूप होगी, उसे संबंधित राज्य अथवा क्षेत्र के लिए संदर्भित करते हुए।

आई.सी.टी., लिंग, योगा शिक्षा और निःशक्तता/समावेशी शिक्षा डी.पी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न भाग होगा।

(क) सैद्धान्तिक विषयों का पाठ्यक्रम

सैद्धान्तिक विषयों के पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत शारीरिक षिक्षा में परिप्रेक्ष्यों पर पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और खेल शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान सम्मिलित है। प्रथम वर्ष में सिद्धान्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है शारीरिक शिक्षा का इतिहास और सिद्धान्त शारीरिक शिक्षा के आधार; बुनियादी शरीर रचना और शरीर विज्ञान योग शिक्षा शारीरिक शिक्षा की पद्धतियां शारीरिक शिक्षा का आयोजन और संचालन; मनोरंजन; स्वास्थ्य शिक्षा; पर्यावरणीय अध्ययन; मूल्य शिक्षा और द्वितीय वर्ष में सम्मिलित है; खेल प्रशिक्षण, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी, शरीरिक शिक्षा में परीक्षण और मान; खेल चोट और पुनर्वास; युवा नेतृत्व और समाज कल्याण, पोषाहार और प्राकृतिक चिकित्सा।

(ख) प्रायोगिक कार्य

प्राथमिक पाठ्यक्रम, प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए उपयुक्त, विभिन्न खेलों में शारीरिक कार्यकलाप और योग अभ्यास में व्यावसायिक दक्षताएं और क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

कार्यकलाप के अन्तर्गत सम्मिलित है : ट्रेक और क्षेत्र; तैराकी (यदि सम्भव हो); जिमनास्टिक्स; योग; एयरोबिक्स; रेकेट खेल; बेडमिन्टन, टेबिल टेनिस; टेनिस; स्क्वेश; टीम खेल; बास्केटबॉल; बेसबॉल; किकेट; फुटबाल; हेण्डबाल, हॉकी; नेटबाल, साफ्टबाल; शूटिंग; बॉलीबॉल; लड़ाकू खेल; बॉक्सिंग, फेन्सिंग, जूडो, कराटे, मलखम्ब, लडाकू कलाए, ताइक्वान्डो, कुश्ती, मनोरेजन/लघु खेल; रिले खेल; समूह खेल, लघु खेल, लीड–अप खेल, स्वदेशी खेल; कबड्डी, खो–खो; राष्ट्रीय महत्व के कार्यकलाप; ध्वजारोहरण, सलामी (मार्च पास्ट), समारोह शुभारम्भ, समापन; विजय शिविर, सैर–सपाटा/डाइविंग/ट्रेकिंग, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापय डम्ब बेल, अम्ब्रेला, टिपरी, वेण्ड, हूप अथवा कोई अन्य उपकरण ।

(ग) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप)

डी.पी.एड. कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्येताओं और स्कूल के साथ लगातार कार्य की व्यवस्था है जिससे कि सामन्जस्यपूर्ण वातावरण कायम किया जा सके । कार्यक्रम के अन्तर्गत, शिक्षण–अध्ययन प्रकिया में शिक्षकों को जानकारी प्रदान करते हुए खेलकूद और स्वदेशी कार्यकलापों में बुनियादी दक्षताओं का शिक्षण प्रदान करना सम्मिलित है ।

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण/शिक्षण अभ्यास के अन्तर्गत समुदाय के साथ अन्योन्यकिया सम्मिलित है। स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण/शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम में निम्नलिखित संघटक सम्मिलित होंगे।

स्कूलों में न्यूनतम 20 पाठ, जिस पाठ्यक्रम के दौरान 4 पाठ कक्षा प्रेक्षण आदि के लिए समर्पित होंगे । प्रथम वर्ष के दौरान और द्वितीय वर्ष के दौरान प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए कम से कम 10 पाठ होंगे ।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

कालेज/संस्थान को कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित का आयोजन करना होगा।

(क) सभी कार्यकलापों के संबंध में, स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण सहित, एक कलेण्डर तैयार करना जिसका कालक्रम स्कूल के शैक्षणिक कलेण्डर के साथ बिठाया जाएगा।

(ख) कम से कम दस स्कूलों के साथ व्यवस्था करना, जिसमें स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने और साथ ही कार्यक्रम के अन्य स्कूल आधारित कार्यकलापों के संबंध में भी उनकी इच्छा का उल्लेख किया जाएगा। ये स्कूल, कार्यक्रम की अवधि के दौरान सभी प्रयोगात्मिक कार्यकलापों और सम्बद्ध कार्य के लिए बुनियादी सम्पर्क सूत्र होंगे। राज्य शिक्षा विभाग के जिला/ब्लॉक कार्यालय द्वारा विभिन्न शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए स्कूल आबंटित किए जा सकते हैं।

(ग) छात्रों और संकाय के लिए समय–समय पर सेमिनार, संवाद, व्याख्यान और चर्चा समूह आयोजित करके शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा पर व्याख्यान प्रारंभिक प्रारंभ करना।

(घ) शैक्षणिक संवर्धन कार्यक्रम, मूल विषयों से संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया सहित, आयोजित करना, संकाय सदस्यों को शैक्षिक अध्ययन में भाग लेने और अनुसंधान आयोजित करने के लिए, विशेष रूप से प्रारंभिक स्कूलों में, प्रोत्साहित करना। विश्वविद्यालय में अनुसंधान आयोजित करने के लिए संकाय के लिए छुट्टी की व्यवस्था करना।

(ङ) छात्रों को विमर्शक चिंतन और विवेचनात्मक प्रश्न पूछने की दक्षताओं का विकास करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करने के वास्ते कक्षा में भागीदारीपूर्ण शिक्षण दृष्टिकोण अपनाना। छात्र, सतत और व्यापक मूल्यांकन रिपोर्टें और प्रेक्षण रिकार्ड रखेंगे जिससे प्रतिक्रियात्मक विचारधारा के लिए अवसर उपलब्ध होते हैं।

(च) स्कूल के लिए संसाधनों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए तथा अध्यापक शिक्षा संस्था और स्कूल के बीच भागीदारी को पाठ्यचर्या और शारीरिक शिक्षा के शिक्षक शिक्षा संस्थान के संचालन, दोनों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

(छ) छात्रों और संकाय की शिकायतों का समाधान करने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए संस्थान में प्रणालियां और प्रावधान किए जाएंगे।

(ज) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए, शिक्षक शिक्षा संस्था और प्रतिभागी स्कूल, छात्र–शिक्षकों के मॉनीटरन, पर्यवेक्षण, शिक्षण और आकलन के लिए एक परस्पर रूप से सहमत पद्धति कायम करेंगे।

4.3 मूल्यांकन

प्रत्येक सिद्धांत पाठ्यक्रम के लिए, कम से कम 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अंक सतत आंतरिक आकलन के लिए और 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत अंक परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित टर्म के अंत में परीक्षा के लिए निश्चित किए जा सकते हैं तथा कुल अंकों का एक–चौथाई स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण कार्यों का, अभ्यास शिक्षण के कार्यों सहित, आबंटित किया जा सकता है। आंतरिक और बाह्य आकलन के लिए भारांश सम्बद्धन निकाय द्वारा निश्चित किया जाएगा। उम्मीदवारों का पूरे प्रायोगिकात्मक कार्य पाठ्यक्रम के संबंध में आंतरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और न कि केवल अध्ययन की उनकी इकाई के भाग के रूप में उन्हें दिए गए प्रोजेक्ट/क्षेत्र कार्य के संबंध में। मूल्यांकन के लिए आधार और प्रयुक्त मापदण्ड छात्रों के लिए पारदर्शी होना चाहिए ताकि उन्हें व्यावसायिक फीडबैक से अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। छात्रों को व्यावसायिक फीडबैक के भाग के रूप में उनके ग्रेडों/अंकों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि उन्हें अपना निष्पादन सुधारने का अवसर प्राप्त हो सके। आंतरिक मूल्यांकन के लिए आधार के अंतर्गत अलग अलग अथवा समूह कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, प्रतिक्रियात्मक पत्रिकाएं आदि शामिल हो सकती हैं।

5. स्टाफ

5.1 शैक्षिक संकाय

(i) (पचास छात्रों की एक बेसिक इकाई अथवा एक सौ की मिली–जुली संख्या से कम अथवा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कम के लिए):

1.	प्रिंसिपल/अध्यक्ष	:	एक
2.	प्राध्यापक	:	छः
3.	पुस्तकाध्यक्ष	:	एक
4.	फिजियोथेरापिस्ट	:	एक
5.	विशेषज्ञ अंशकालिक संकाय (खेल विशेषज्ञ)	:	चार (अंशकालिक)
6.	आहार–विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ	:	एक (अंशकालिक)
7.	आईसीटी अनुदेशक	:	एक (अंशकालिक)

(ii) अतिरिक्त दाखिले के लिए, जो पचास छात्रों के गुणक में होगा, पूर्णकालिक संकाय की संख्या में छः प्रतिशत अतिरिक्त इकाई के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। प्रत्येक अवसर पर एक बुनियादी इकाई के अतिरिक्त दाखिले पर विचार किया जाएगा। शारीरिक शिक्षा शिक्षक तैयार पाठ्यक्रमों को भी, एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों को पूरा किए जाने के अध्यधीन व्यापक और संयुक्त संस्थानों में संचालित किया जा सकता है।

(iii) शिक्षकों की नियुक्ति को इस प्रकार से विभाजित किया जाएगा कि पाठ्यक्रमों/विषयों और शारीरिक शिक्षा से सम्बद्ध कार्यकलापों के शिक्षण के लिए अपेक्षित प्रकृति और विशेषज्ञता का स्तर सुनिश्चित हो सके।संकाय का उपयोग शिथिलनीय ढंग से शिक्षण के लिए किया जाएगा जिससे कि उपलब्ध शैक्षिक विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग हो सके।

(iv) **अर्हताएं**

(ए) प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष/प्रभारी शिक्षक शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं प्राध्यापक के पद के लिए निर्धारित अनुसार होंगी। शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में एक प्राध्यापक के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

(बी) प्राध्यापक

कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम.पी.एड. अथवा समकक्ष डिग्री।

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.पी. एड. तथा स्कूल स्तर पर शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में आठ वर्ष का अनुभव।

(सी) पुस्तकाध्यक्ष

पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री।

(डी) शारीरिक चिकित्सक (फिजियोथेरापिस्ट)

खेल फिजियोथेरेपी में विशेषज्ञता के साथ फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ई) विशेषज्ञ अंशकालिक संकाय (खेल विशेषज्ञ)

कम से कम एक खेल में विशेषज्ञता खेल में कोचिंग में डिप्लोमा के साथ शारीरिक शिक्षा में किसी एक खेल में विशेषज्ञता/स्नातक डिग्री के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक/मास्टर्स डिग्री।

(एफ) आहार विज्ञानी/पोषाहार विशेषज्ञ – एक (अंशकालिक)

पोषाहार विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री।

(जी) आईसीटी अनुदेशक – एक (अंशकालिक)

सूचना प्रथाओं/सूचना विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री।

(**टिप्पणी** : संयुक्त संस्थान के मामले में प्रिंसिपल और शैक्षिक, प्रशासनिक और तकनीकी स्टाफ की सेवाओं में भागीदारी की जा सकती है।)

5.2 तकनीकी सहयोगी और प्रशासनिक स्टाफ

1. ग्राउण्ड स्टाफ	:	एक

(ग्राउण्डों की मार्किंग करने और खेल मैदानों के अनुरक्षण की जानकारी के साथ)

2. तकनीकी सहायक	:	एक (अंशकालिक)
3. कार्यालय सहायक	:	एक

(कंप्यूटरों और लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ काम करने के ज्ञान के साथ)

4. स्टोरकीपर	:	एक

(स्टोर की हैंडलिंग की जानकारी के साथ)

5. हेल्पर/परिचर	:	दो

अर्हताएं

संबंधित सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्धारित

5.3 सेवा की शर्तें और उपबंध

शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की सेवा शर्तें, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सेवानिवृति की आयु व अन्य लाभ राज्य सरकार/सम्बद्धन निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

6. सुविधाएं

6.1 भौतिक सुविधाएं

(i) ये सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रबंधन/संस्थान के पास आवेदन करते समय उसके कब्जे में न्यूनतम पांच एकड़ भूमि एकमात्र रूप से, भली–भांति सीमा अंकित, या तो मिल्कियत के आधार पर अथवा पट्टे पर/सरकार से उस पर निर्मित इमारत के साथ होनी चाहिए।

(ii) दाखिले की प्रति इकाई दो कक्षा कमरों, एक बहु–प्रयोजन हॉल, एक बहु–प्रयोजन प्रयोगशाला, सेमिनार/ट्युटोरियल कमरे, प्रिंसिपल, संकाय सदस्यों के लिए अलग–अलग कमरे, प्रशासनिक स्टाफ के लिए कार्यालय तथा एक स्टोर का प्रावधान होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षण कमरे के लिए, जैसेकि

कक्षा कमरे, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के लिए स्थान प्रति छात्र 10 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। बहु–प्रयोजन हॉल में कुल 2000 वर्ग फुट के साथ दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी।

(iii) कम से कम दो सौ मीटर ट्रैक के साथ, बाह्य खेलों के लिए एक बहु–प्रयोजन क्षेत्र और जिमनास्टिक व अंतरंग खेल–कूद के लिए एक हॉल होना चाहिए।

(iv) इमारत के सभी भागों में अग्नि संकट के विरुद्ध सुरक्षोपाय की व्यवस्था की जाएगी।

(v) संस्थागत कैम्पस, इमारत, फर्नीचर आदि विकलांग अनुकूल होने चाहिए।

(vi) आवश्यक होने पर, लड़के और लड़कियों के लिए पृथक छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संकाय के लिए कुछ रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

6.2 अनुदेशात्मक

(i) संस्थान के पास उचित फेन्सिंग के साथ कम से कम पांच एकड़ भूमि होगी जिससे संस्थागत इमारत के लिए और भावी विस्तार के लिए पर्याप्त जगह तथा खेल–कूद आयोजित करने के लिए खुली जगह होगी। कक्षा कमरों को मिलाकर निर्मित क्षेत्र 1200 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, जहां कुल भूमि अपेक्षित पांच एकड़ से कम हो सकती है, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डी.पी.एड. कार्यक्रम के साथ मिलकर अन्य पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नवत होगा:

1. केवल डी. पी. एड. – 1200 वर्ग मीटर
2. डी.पी.एड. तथा बी. पी. एड. – 2700 वर्ग मीटर
3. डी.पी.एड. तथा बी. पी. एड. और एम. पी. एड. – 3900 वर्ग मीटर

डी.पी.एड. की एक इकाई के अतिरिक्त दाखिले के लिए 500 वर्ग मीटर के अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

(ii) एक पुस्तकालय होगा, जो न्यूनतम दो हजार शीर्षकों और अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रमों से सम्बद्ध संदर्भ पुस्तकों, शैक्षिक विश्वकोष, वार्षिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों (सीडी–रोम) और कम से कम शारीरिक शिक्षा और सम्बद्ध विषयों पर पांच पत्रिकाओं से सज्जित होगा। पुस्तकालय में फोटोकॉपिंग सुविधा और संकाय तथा छात्र–शिक्षकों के उपयोगार्थ इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर होगा।

(iii) प्रयोगशालाएं

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला उपस्कर

प्रोजेक्शन और दोहरेपन के लिए हार्डवेयर और आईसीटी साक्षरता प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रणाली; टी.वी.; एलसीडी प्रोजेक्टर; प्रदर्शन बोर्ड (तीन), इंटरनेट संयोजकता के साथ कम से कम दस मूवी कैमरा; संगीत प्रणाली, कंप्यूटर प्रणाली – प्रिंटर के साथ दो; फोटोकॉपी मशीन; जीओ/डीवीडी/आरओएम, विभिन्न खेलों/दक्षता शिक्षण के लिए बीस; स्मार्ट बोर्ड।

(ख) शरीर रचना, शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा प्रयोगशाला उपस्कर, मानव कंकाल – आर्टिकुलेटिड (एक), अ–आर्टिकुलेटिड (दो); इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल/लीवर आधारित तुला मशीन – एक; एन्थ्रोपोमीट्रिक किट – एक सेट; स्टेडियोमीटर – एक; ग्रोथ चार्ट और बॉडी सिस्टम चार्ट – दस; वांछनीय भार और ऊंचाई टेबल्स– दो; स्किनफोल्ड कैलिपर्स – दो; मापन टेप (स्टील) – एक; पीक फ्लो मीटर – एक; ग्रिप डायनमोमीटर – दो; फ्लेक्सोमीटर (सिट एंड रीच ऐपेरेटस) – दो; बी.पी. ऐपेरेटस (साइग्मोमैनोमीटर, स्टेथस्कोप और स्टाप वाचिज) – दो।

6.3 खेल और क्षेत्र उपकरण

खेल और क्षेत्र उपस्करों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा:

(i) एथलेटिक्स

मापन टेप (स्टील) – 15 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर; ट्रैक की मार्किंग के लिए वायर (पचास मीटर) – एक; स्टाप वाचिज – चार; स्टार्टिंग क्लैपर – एक, समाप्ति पर न्यायाधीशों के लिए स्टैण्ड – दो; फ्लैग पोल – 6, स्टार्टिंग ब्लॉक्स – 6; स्टाप बोर्ड – दो; टेक ऑफ बोर्ड – दो; हर्डल्स – बीस; हाई जम्प स्टैंड – एक जोड़ी; हाई जम्प क्रॉस बार्स – 6; पुरुषों और महिलाओं के लिए शॉट–पुट – दो–दो; पुरुषों और महिलाओं के लिए डिस्कस – दो–दो; पुरुषों और महिलाओं के लिए हैमर्स – दो–दो; पुरुषों और महिलाओं के लिए जलेविलन – छः–छः, जम्पिंग के लिए वाल्टिंग बॉक्स –दो; रिले बैटन – छः, मैट्रेस, वज़न प्रशिक्षण (मैट्स), हाई जम्प के लिए लैंडिंग।

(ii) खेलकूद

बैडमिंटन – पोस्ट, नेट, रैकेट, शटल कॉक, बास्केटबाल – स्टैंड और बोर्ड, नेट, बाल्स; क्रिके बैटिंग पैड, बैटिंग ग्लोव्ज, एबडोमिनल गार्ड, हेल्मेट, विकेट कीपिंग ग्लोव्ज, विकेट कीपर लेग गार्ड, स्टम्प्स, बेल्स, बाल्स, टेनिस बाल; फुटबाल–गोल पोस्ट, नेट, बाल्स (सूक्ष्म आकार 4); फ्लेग के साथ पोस्ट; जिमनास्टिक्स – वाल्टिंग टेबल/हॉर्स (पुरुष और महिलाएं), पैरेलल बार (पुरुष), हॉरिजोंटल बार (पुरुष), बैलेंस बीम (समायोजन–योग्य); जिमनास्टिक्स मैट्रेसिज : हैंडबाल – गोल पोस्ट,नेट्स, बाल्स; हॉकी – गोल पोस्ट्स, नेट, बाल्स, स्टिक्स, गोल कीपिंग किट; खो–खो – खो पोल्स; लॉन टेनिस – पोस्ट्स, नेट्स, बाल्स, ऐन्टेना; वजन प्रशिक्षण – रॉड्स, वज़न प्लेट्स 2.5 किग्रा, 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 किग्रा, 20 किग्रा, कोलर्स, बेन्चिज, भार स्टैंड, भार बेल्ट और भार जैकेट, एक मल्टी–जिम अथवा पृथक स्टेशन–वार (कम से कम दस स्टेशन); जूडो/ताइक्वांडो/कुश्ती–मैट्स।

(iii) स्वदेशी कार्यकलापों/सामूहिक प्रदर्शन के लिए उपस्कर

लेजियम्स, डम्बवेल्स, फ्लेग्स, हूप्स, वेण्ड्स, ब्राल्स, अम्ब्रेलाज, स्किपिंग रॉप्स, संगीत प्रणाली' संगीत सीडी कैसेट, सामग्री, जैसेकि स्कार्फ, ड्रिल, रिबन, प्लेकार्ड आदि, सामूहिक प्रदर्शन कार्यकलापों के लिए; लड़ाकू कलाओं के लिए प्रदर्शन उपस्कर।

6.4 सांस्कृतिक कार्यकलाप

उपयुक्त और पर्याप्त वाद्य यंत्र, जब भी विभिन्न कार्यकलापों के लिए आवश्यक हों, उपलब्ध कराए जाएंगे।

6.5 विविध

बड़े खेलों, लघु खेलों, मनोरंजन खेलों, रिलेज, लड़ाकू खेलों और योग के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर।

6.6 सुविधाएं

(i) शिक्षण व अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यात्मक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ii) संस्थान, पुरुष और महिला अध्यापक शिक्षकों/छात्र–शिक्षकों के लिए पृथक सामान्य कक्षों की व्यवस्था करेगा।

(iii) स्टाफ और छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में शौचालय, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग–अलग उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iv) वाहनों की पार्किंग के लिए व्यवस्था की जा सकती है।

(v) संस्थान में सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था की जाएगी।

(vi) कैम्पस की नियमित सफाई, पानी और शौचालय सुविधाओं, फर्नीचर व अन्य उपस्करों की मरम्मत और उन्हें बदलने के लिए प्रभावी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(टिप्पणी : संयुक्त संस्थान के मामले में बहु–प्रयोजन हाल, खेल मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला की सुविधाओं (पुस्तकों और उपस्करों में आनुपातिक वृद्धि के साथ) तथा अनुदेशात्मक स्थान से विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भागीदारी की जा सकती है।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में एक प्रबंध समिति होगी, जिसका गठन सम्बद्धन विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार, यदि कोई हो, किया जाएगा। ऐसे नियमों के अभाव में, संस्थान अपने आप प्रबंध समिति का गठन करेगा। समिति के अंतर्गत प्रायोजक सोसायटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, शारीरिक शिक्षाविद, सम्बद्धन विश्वविद्यालय और स्टाफ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट–7

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी. एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाले शारीरिक शिक्षा स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदण्ड और मानक

1. प्रस्तावना

शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी.पी.एड.) कार्यक्रम एक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जो कक्षा VI-X में शारीरिक शिक्षा के लिए शिक्षक तैयार करने और कक्षा XI-XII में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद कार्यकलाप आयोजित करने के लिए है।

2. अवधि और कार्य दिवस

2.1 अवधि

बी.पी. एड. कार्यक्रम दो शैक्षिक वर्षों अथवा चार सेमेस्टरों की अवधि के लिए होगा। तथापि, छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के अंदर कार्यक्रम अपेक्षाओं को पूरा करने की अनुमति होगी।

2.2 कार्य दिवस